



हेमचंद यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग (छ.ग.)

(पूर्वनाम-दुर्ग विश्वविद्यालय, दुर्ग)

रायपुरनाका दुर्ग (छ.ग.)-491001

ईमेल: phdcell@durguniversity.ac.in वेब साइट : www.durguniversity.ac.in दूरभाष : 0788-2359100

क्रमांक 2840/शोध/2024

दुर्ग, दिनांक 14 / 03 / 2024

// अधिसूचना //

विश्वविद्यालय अध्यादेश क्र. 45 की कंडिका 8 के अनुक्रम में पूर्ववर्ती प्रावधान जिसमें ऐसे अभ्यर्थी जिनके शोध निर्देशक शोध केन्द्र में पदस्थ नहीं है, उन्हें शोध केन्द्रों से अनिवार्यता से सह शोध निर्देशक लेने की बाध्यता थी। जिसे विश्वविद्यालय द्वारा भारत का राजपत्र सं. 544, नई दिल्ली, सोमवार, नवम्बर 7, 2022/कार्तिक 16, 1944 द्वारा प्रकाशित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की अधिसूचना- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (पी-एच. डी. उपाधि प्रदान करने हेतु न्यूनतम मानदण्ड और प्रक्रिया) विनियम, 2022 के अंगीकृत किए जाने के परिणामस्वरूप समाप्त किया जाता है। यह अधिसूचना जारी दिनांक से तत्काल प्रभाव से लागू मानी जाएगी।
(मा. कार्यपरिषद द्वारा अनुमोदित)

कुलसचिव

दुर्ग, दिनांक 14 / 03 / 2024

क्र. 2841/शोध/2024

प्रतिलिपि:-

1. आयुक्त, छ.ग. शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, नया रायपुर, रायपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. कुलपति के निजसहायक, हेमचंद यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग (छ.ग.)।
3. प्राचार्य, समस्त संबद्ध महाविद्यालय, हेमचंद यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग (छ.ग.)।
4. वि.वि. वेबसाइट प्रभारी, हेमचंद यादव वि.वि. दुर्ग की वेबसाइट में अपलोड किये जाने हेतु सूचनार्थ प्रेषित।

14.3.24
प्रभारी, पी-एच. डी. प्रकोष्ठ